

7.1.20

पतावली पेशा वकील बाही 350/ ताही वकील
को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस सप्री०
एडी संलित पेशा करे के लिए कई बार निर्देशित
किया गया परन्तु वादी वकील अथवा वादी द्वारा इसमें
कोई रुचि नहीं लेकर आदिनांक तक नोटिस
तलवाना सप्री० एडी संलित पेशा नहीं किया गया।
इससे यह उतीत होता है की वादी एवं वादी
वकील आपने वाद को लेकर उभरी नहीं हैं।
वादी द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पुनः
नोटिस तलवाना मम सप्री० एडी पेशा
नहीं करे से द्वारा आपालना में जारी
किया जाता है। पतावली प्रसन्न शुभा
होकर व नम्बर से कम की प्राकट प्रखिल
दफ्तर को/

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

